न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 234/2022

अनवान : –

1. नेक मोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील।

– सायल

बनाम्

1. अनिता बंसल पत्नि सुदेश कुमार बंसल जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
2. अकुर खदरिया पुत्र अंजनी कुमार खदरिया जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
3. महावीर प्रसाद जमालिया पुत्र श्री रामकुमार जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर हाल वसुं कैनाल रोड़ वेसु सुरत गुजरात
4. मन्जु देवी अग्रवाल पुत्र वासुदेव अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
5. मनोज कुमार खदरिया पुत्र श्यामसुन्दर जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
6. ऋषभ गोयल पुत्र श्री जगदीश गोयल निवासी राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू
7. योगेश कुमार राठी पुत्र ओमप्रकाश राठी निवासी राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू
8. निमित अग्रवाल पुत्र रोशनलाल जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
10. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 24/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के ख.न. 221 मीन व 222 मीन व 223 मीन की कुल तादादी 62 बीघा 04 विस्वा भूमि थी जिसके सायल के पिता व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी स. 21, तरतीबी प्रतिवादी स. 22 ता 26 के दादा व तरतीबी प्रतिवादी स. 27 ता 29 के नाना व तरतीबी प्रतिवादी स. 30 ता 36 के पिता खातेदार काश्तकार थे।

गैरसायलान सं. 1 ता 8 ने भू प्रबन्धक विभाग से साज बाज कर सायल की कृषि भूमि में से चूंकि गैरसायल सं. 1 [illegible] मगर अब 0.67 हैक्टर कृषि भूमि है मगर दावा में प्रतिवादी सं. 17 के पास मौके [illegible] भूमि यानि तहसीलदार व पटवारी रिपोर्ट में दावा में प्रतिवादी सं. [illegible] भूमि यानि 3 बीघा 18 विस्वा भूमि दशायी गयी है तथा गैरसायलान सं. 1 ता 8 जबरन काबिल है जिसमें [illegible] की भूमि 1.05 बीघा भूमि पर काबिज ना हो मगर वादग्रस्त भूमि सायल के पिता व दावा में दर्ज तरतीबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी स. 21. तरतीबी प्रतिवादी स. 22 ता 26 के दादा व तरतीबी प्रतिवादी स. 27 ता 29 के नाना व तरतीबी प्रतिवादी स0 30 ता 36 के पिता के नाम दर्ज है। सायल के द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजस्व नोहर के यहा पेश किया जिस पर रिपोर्ट आयी की मौके आबादी भूमि होने के कारण पैमाईश सम्भव नहीं है चूंकि सायल के 1.05 बीघा भूमि पर गैरसायलान सं. 1 ता 9 जबरन काबिज है तथा उक्त जगह पर रिहायशी प्लाट काट रहे है। सायल दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 21 ता 36, प्रतिवादीगण सं. 1ता 16,18 ता 20 जो कि गैरसायलान सं. 1ता 8 से अपनी खातेदारी कृषि भूमि से अधिक काबिज है तथा सायल दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 21 ता 36 की खातेदारी कृषि भूमि पर जबरन काबिज है तथा अपनी भूमि को सुरक्षित रखकर सायल दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 21 ता 36 प्रतिवादी सं. 9 ता 16 व 18 ता 20 की कृषि भूमि का अवैध बैचान कर रहे है। यह कि उक्त भूमि शहर के पिचते है तथा बेश किमती भूमि है जिस कारण से उनके मन में लालच आ गया है तथा वादी के द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवानी चाही है तो तहसीलदार राजस्व व पटवारी हल्का द्वारा अबादी भूमि होने का हवाला देकर पैमाईश नहीं की गयी है।

गैरसायलान सं. 1 ता 8 के मन में लालच आ गया है तथा सायल दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 21 ता 36 व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण सं. 9 ता 16 व 18 ता 20 की 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि को हल्फनामा के आधार पर रहन/बैय करना चाहते है इसलिए सायल दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 21 ता 36 व गैरसायलान सं. 1 ता 8 के अस्थाई निषिद्ध पाने का अधिकारी है। इसलिए सायल गैरसायलान सं. 1 ता 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है कि सायल के कब्जा काश्त में मदाखलत वैजा ना करे, सायल के हक व हिस्सा भूमि में गैरसायलान सं. 1 ता 8 साचल के कब्जा से बेदखल करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा कस्बा नोहर के खता स0 69/65 की कुल 1.4290 हैक्ट भूमि व खाता स0 75/71 की कुल 4.300 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 ता 6 व 8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। गैरसायल स0 7 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की गैरसायल स0 2 व 5 की खरीद शुदा भूमि है एवं अपने खरीद शुदा भूमि पर गैरसायल स0 2 व 5 काबिज है। गैरसायलान द्वारा समस्त प्रतिफल देकर भूमि खरीद की गई है एवं गैरसायल रिकार्डेड खातेदार है रिकार्डेड खातेदार का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की भूमि पर गैरसायलान काबिज होकर निर्माण कार्य करना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान [illegible] जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेच[illegible] खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बै[illegible] एवं गैरसायलान द्वारा जरिये बैयनामा समस्त प्रतिफल देकर भूमि खरीद की गई है उक्त [illegible] का औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हो चुका है एवं गैरसायल अपनी खरीद शुदा भूमि पर काबिज है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कस्बा नोहर के ख0न0 69/65 की कुल 1.4290 हैक्ट भूमि व खाता स0 75/71 की कुल 4.300 हैक्ट भूमि भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की चित्रप्रति के के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैरसायल स0 2 व 5 द्वारा रजिस्टर्ड बैयनामा भूमि खरीद की गई है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 04.10.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:15 IST
Reason: SelfAttested